आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद सं0 01/11-12 / 04/2013 अरूण कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
30.05.2017	***आदेश*** दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा अगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में अधिवक्ता के माध्यम् से अरूण कुमार पे0 स्व0 सहदेव चौधरी, ग्राम–रामपुर, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया। प्रस्तुत आपूर्त्ति अपील वाद सं0 $\frac{01/2011-12}{04/2013}$ अरूण कुमार पे0 स्व0 सहदेव चौधरी, ग्राम–रामपुर, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 617 दिनांक 12.03.2011 से विक्षुब्ध होकर दाखिल किया है। दाखिल अपील में कहा गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी से संयुक्त रूप से जांच करायी गयी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा स्पष्टीकरण किया गया जिसका जबाव उन्हें दिया गया तथा उनके जवाब पर सम्यक विचार नहीं की गयी तथा उनके जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या 93 जी0/2007 को दिनांक 12.03.2011 को रद्द कर दिया गया जो बिल्कूल न्याय संगत नहीं है। उन्होंने अपने अपील आवेदन में कहा है कि उनके वितरण पंजी एवं अन्य कागजात को बिना देखे, जांच किए आदेश पारित किया गया जो विधि संगत नहीं है। उन्होंने अपील को स्वीकार कर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 12.03.2011 को पारित आदेश को रद्द करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को आवंटन चालू करने का निदेश देने का अनुरोध किया है। अपीलार्थी एक वर्ष से उपर से लगातर अनुपस्थित चले आ रहे हैं तथा आवेदक की ओर से कोई हाजरी भी नहीं दी जा रही है और न ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से बहस की जा रही है। इस स्थिति में इस वाद में एकतरफा आदेश पारित किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 617, दिनांक 12.03.2011 से पारित आदेश को रद्द करते हुए अनुज्ञप्ति संख्या 93 G /2007 को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।	

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि :—

उपभोक्ताओं के शिकायत पर उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गोगरी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी को संयुक्त रूप से जॉच हेतु दिया गया। प्राप्त संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लिखित एवं मौखिक उपभोक्ताओं के ब्यान के आधार पर बिकेता श्री अरूण कुमार द्वारा बी0पी0एल0 खाद्यान आपूर्ति नहीं करने तथा किरासन तेल तीन लीटर के जगह ढाई लीटर देने की बात कहीं गई है। संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में बिकेता श्री अरूण कुमार की अनुज्ञप्ति सं0—93 जी0/07 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी।

जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता अरूण कुमार के विरूद्ध उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 07.03.2011 को आवेदन देते हुए शिकायत किया कि जन वितरण प्रणाली के बिकेता द्वारा खाद्यान आपूर्ति नहीं की जा रही है तथा दिनांक 08.03.2011 को रामपुर के उपभोक्ताओं ने कार्यालय आकर भी शिकायत एवं प्रदर्शन किया । इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा स्वयं दिनांक 08.03.2011 को बिक्रेता अरूण कुमार के अनुज्ञप्ति सं0 93 जी0/07 का दुकान निरीक्षण किया गया। दुकान बन्द पाये जाने के कारण बिकेता से कार्यालय के ज्ञापांक 521 दिनांक 08.03.2011 से स्पष्टीकरण पूछते हुए वितरण संबंधी कागजात की मांग की गई । प्राप्त स्पष्टीकरण के साथ वितरण संबंधित किसी तरह का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकार किया गया।

इस प्रकार प्राप्त संयुक्त जॉच प्रतिवेदन व अनुशंसा तथा प्राप्त स्पष्टीकरण के असंतोषजनक पाये जाने के कारण बिक्रेता श्री अरूण कुमार द्वारा बी0पी0एल0 खाद्यान आपूर्ति नहीं करने तथा किरासन तेल तीन लीटर के स्थान पर ढाई लीटर आपर्ति करने के आरोप में बिक्रेता श्री अरूण कुमार की अनुज्ञप्ति सं0 93 जी0/07 को रद्द किया गया।

उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जन वितरण प्रणाली बिकता श्री अरूण कुमार द्वारा बी0पी0एल0 खाद्यान आपूर्ति नहीं करने तथा किरासन तेल तीन लीटर के जगह ढाई लीटर देना अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का घोर उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 617, दिनांक 12.03.2011 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

समाहर्त्ता
खगड़िया